संख्या-44/2022/729/26-3-2022

प्रेषक

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम चार माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) के लिये अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11/1-18/2021-22/बजट/शो0प्र0सं0/लखनऊ, दिनांक 06-04-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण (जनजाति कल्याण) के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गा का कल्याण के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाओं हेतु निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम चार माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-344.91 लाख (रू0 तीन करोड़ चौवालिस लाख इक्यानवे हजार मात्र) के सापेक्ष रू0-114.54 लाख (रू0 एक करोड़ चौदह लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अनुदान संख्या –81		
		(रूपया लाख में)
मुख्य लेखाशीर्षक / लघुशीर्षक योजना का नाम	**आय / व्ययक प्राविधान 2022-23**	**04 माह हेतु स्वीकृति धनराशि**
1	2	3
1. राजस्व व्यय -		
मुख्य लेखाशीर्षक -2225. अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण -		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
19 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाए-		
01. वेतन	199.35	66.12
02. मजदूरी	3.50	1.16
03. मंहगाई भत्ता	73.76	24.58
04. यात्रा व्यय	3.50	1.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

05. स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16
06. अन्य भत्ते	1.00	0.33
07. मानदेय	1.75	0.58
08. कार्यालय व्यय	1.75	0.58
09. विद्युत देय	3.00	1.00
10. जलकर/जल प्रभार	0.05	0.01
11. लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.70	0.23
12. कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	2.50	0.83
13. टेलीफोन पर व्यय	0.45	0.15
15. गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	3.33
16. व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	0.33
18. प्रकाशन	0.60	0.20
19. विज्ञापन , बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.03
22. आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	0.30	0.10
41. भोजन व्यय	2.50	0.83
42. अन्य व्यय	0.50	0.16
44. प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.16
45. अवकाश यात्रा व्यय	1.50	0.50
46. कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफटवेयर का क्रय	2.00	0.66
47. कॅम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी स्टेंशनरी का क्रय	8.00	2.66
49. चिकित्सा व्यय	4.00	1.33
51. वर्दी व्यय	0.10	0.03
52. पुनरीक्षित वेतन का अवशेष ; राजकीय)	0.00	0.00
55. मकान किराया भत्ता	12.00	4.00
56. नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58. आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	3.33
योग .	**344.91**	**114.54**
(रूपये एक करोड़ चौदह लाख चौवन हजार मात्र)		

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2022-23 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/ बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30-12-2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/ बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30-12-2022 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

पृ0संख्या-44/2022/729(1)/26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0, शासन।
7- वित्त् एवं लेखाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in